पुलिस जनसम्पर्क अधिकारी
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
पंचकूला

RO No. 3200

PUNJAB ALKALIES & CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: S.C.O. 125 - 127, SECTOR 17- B, CHANDIGARH-160017
(CIN: L24119CH1975PLC003607)

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Punjab Alkalies & Chemicals Limited will be held on Wednesday, the 30th June, 2021 at 12.30 hours through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with MCA General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, MCA General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and MCA General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020 and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business mentioned in the Notice convening the said Extra Ordinary General Meeting. The said Notice and explanatory statement are being sent to the Members to their E-mail addresses registered with the Company/ Depository Participants.

A member can attend and participate in the EGM through the VC facility/ OVAM only, the details which will be provided by the Company in the Notice of the meeting. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the Extra Ordinary General Meeting of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the Government authority with respect to COVID-19. The members attending the meeting through VC facility/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the EGM will be sent electronically only to those members whose Email address are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent (Registrar)/Depositories. As per the MCA circular and SEBI Circular, no physical copies of the notice of EGM will be sent to any member.

Members who have not registered their E-mail address, are requested to register/ update their E-mail address with the Company or the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company viz. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. by sending an email at investor@beetalfinancial.com. Those Shareholders who are holding shares in Demateralised mode can also register/ update their E-mail address with their Depository Participants (DP).

Members are hereby informed that in compliance with Regulation 44 of LODR, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing E-voting facility to cast their votes electronically on the Resolutions proposed to be passed at the Extra Ordinary General Meeting. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide E-voting facilities. Shri Ajay Arora, Practising Company Secretary, Chandigarh has been appointed as Scrutinizer for conducting the E-voting process in a fair and transparent manner. The remote E-voting period will commence at 10.00 A.M. (IST) on 27th June, 2021 and will end at 5.00 P.M. (IST) on 29th June, 2021. During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut –off date (record date) of 25th June, 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Members who are participating in the meeting through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on 30th June, 2021 can cast their vote during the meeting electronically on the business specified in the notice of the EGM through electronic voting system (E-Voting) of CDSL. However only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-Voting system in the EGM.

The members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 25th June, 2021, shall be entitled to avail the facility of remote E-voting and voting at the Extra Ordinary General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after completion of mailing of Notice of Extra Ordinary General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 25th June, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdslindia.com or beetalrta@gmail.com.

The Notice of the said Extra Ordinary General Meeting is available on the Web-sites of the Company (www.punjabalkalies.com), its Registrars and Share Transfer Agents Beetal Financial & Computer Services Private Limited (www.beetalfinancial.com) and CDSL (www.evotingindia.com).

In case of any query or grievance regarding E-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQ') and E-voting Procedure available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or beetalrta@gmail.com or may contact Shri Puneet Mittal, General Manager, Beetal Financial and Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi - 110062, Phone No.: 011-29961281-83 and Email : beetalrta@gmail.com.

The Results of the EGM shall be declared within the prescribed time limit and shall be placed on the Company's website (www.punjabalkalies.com) and on the website of CDSL (www.evotingindia.com) for information of the members and would also be communicated to BSE Limited (www.bseindia.com).

By Order of the Board
Sd/-
(Sugandha Kukreja)
Company Secretary

Dated: May 21, 2021

PACL - TOI - Chd - 8/6/21

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009.
Tel No.0177-2627263,2627907,2627908 Fax. No. 0177-2627162.
E-mail: secy-hperc@hp.gov.in Website: http://www.hperc.org

Public Notice

Subject: Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) (Seventh Amendment) Regulations, 2021.

(HPERC-438) In exercise of the powers conferred by section 62, 66, 86 and 181 of the Electricity Act, 2003, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) proposes the draft amendment regulations i.e. the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) (Seventh Amendment) Regulations, 2021. Full text of draft amendment regulations is available on the HPERC's website: www.hperc.org and in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 04.06.2021.

Suggestions/objections together with the supporting material may be sent to the Secretary, HP Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Shimla-171009, so as to reach the Commission on or before **5th July, 2021**. The suggestions/objections so filed (preferably six copies) should carry the full name and postal address; fax number and e-mail address, if any. The Commission shall not consider suggestions/objections received after the date specified above or which are deficient in any of the above requirements.

Place: Shimla
Dated: 07.06.2021

Sd/-
(Neelam Dulta), HPAS
Secretary

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

उपरोक्त-नामित आवेदक ने "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (एनआरएसएसएस)-XXV" के तहत याचिका 1: संपत्ति-1: अतिरिक्त 1X500 एमवीए के तहत अमृतसर(पीजी) सब-स्टेशन पर संबद्ध बेज सहित 400/220/33केवी, 500एमवीए आईसीटी-4, आईएसटीएस के तहत अमृतसर(बालाचक) सब-स्टेशन में 400/220केवी (चौथे) ट्रांसफार्मर, और याचिका 2: संपत्ति-1: दोनों छोरों पर संचार उपकरण और वन अर्थ वायर के स्थान पर ओपीजीडब्ल्यू सहित सहित 400केवी डी/सी मोहिन्दरगढ़-भिवानी टीएल के लिए डीओसीओ से 31-03-2024 तक ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन किया है।

उपरोक्त पारेषण प्रणाली की संयुक्त संपत्ति के लाभार्थी हैं: (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (5) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (6) हरियाणा बिजली खरीद केंद्र (7) बिजली विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार (8) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (9) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (10) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (11) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (12) नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (13) चंडीगढ़ प्रशासन (14) उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (15) उत्तर मध्य रेलवे (16) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (17) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (18) अडानी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड।

सं.	विषय	याचिका 1	याचिका 2
	परियोजना की स्वीकृत पूंजी लागत (करोड़ रुपये)	24.87	123.91
	पूंजी लागत का अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी	निदेशक मंडल	निदेशक मंडल
	वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तारीख	08.08.2020	28.08.2018
	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	03.11.2020	31.05.2021 (प्रत्या.)
	...ओ पर पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये)	19.51	85.13

टैरिफ का विवरण: 2019-24

(लाख रुपये में)

याचिका	संपत्ति	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
याचिका 1	संपत्ति-1	-	239.17	643.54	679.20	696.47
याचिका 2	संपत्ति-1	-	-	1200.54	1488.99	1539.45

टैरिफ के निर्धारण हेतु किए गए आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट www.powergrid.in पर डाली गई है।

आवेदन में निहित टैरिफ के निर्धारण के प्रस्तावों पर लाभार्थी सहित किसी व्यक्ति द्वारा सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आवेदक को उसके कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर एक प्रति सहित, सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (या जहां आयोग का कार्यालय स्थित हो) के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं।

स्थान: गुड़गांव
दिनांक: 07/06/2021

हस्ता./-
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: बी-9 कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
कॉर्पोरेट कार्यालय: "सौदामिनी", प्लाट नंबर 2, सेक्टर-29 गुड़गांव, हरियाणा-1220001
वेबसाइट: www.powergrid.in सीआईएनः एल40101डीएल1989जीओआई038121

एक महारत्न पीएसयू

PG/CC/Notice-4/Advt.7/2020-21/Apex

पंजाब अल्कालीज एंड कैमिकल्ज लिमिटेड

रजि. कार्यालय एससीओ 125-127, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017
(CIN : L24119CH1975PLC003607)

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब अल्कालीज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड की असाधारण आम बैठक (ईजीएम), कथित असाधारण आम बैठक सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय को संपादित करने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एमसीए जनरल सर्कुलर सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, एमसीए जनरल सर्कुलर सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं एमसीए जनरल सर्कुलर सं. 20/2020 दिनांक मई 05, 2020 एवं सर्कुलर सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 अन्य लागू सर्कुलर की अनुवर्ती में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडिया विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से 30 जून, 2021 को 12.30 बजे बुधवार को होगी। कथित सूचना एवं विवरणात्मक ब्यौरा सदस्यों को कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के पास रजिस्टर्ड उनके ई-मेल पते पर भेज दी गई है।

सदस्य वीसी सुविधा/केवल ओवीएएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं जिसका विवरण मीटिंग की सूचना में कम्पनी द्वारा प्रावधान कराया जाएगा। तदानुसार कृपया नोट करे कि कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु व्यकित रूप से भी किसी भी व्यक्ति के लिए असाधारण आम बैठक में उपस्थित होने एवं भाग लेने हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। वीसी सुविधा/ओवीएएम के माध्यम से मीटिंग में उपस्थित होने वाले सदस्यों की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य हेतु गणना की जाएगी।

ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिसका ई-मेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (रजिस्ट्रार)/डिपोजटरीज के पास पंजीकृत है। एमसीए सर्कुलर एवं सेबी सर्कुलर के अनुसार ईजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की कोई भी फीजिकल कॉपी किसी भी सदस्य को नहीं भेजा जाएगी।

सदस्य जिसका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है से निवेदन है कि वे कम्पनी अर्थात बीटल फाईनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज प्राई. लि. के रजिस्ट्रार एण्ड ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या कम्पनी को investor@beetalfinancial.com पर ई मेल भेजने द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करा लें। ऐसे हिस्साधारक जो डेमेटरलाईज्ड मोड में शेयर्स रखते हैं वे भी अपने डिपाजटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं।

सदस्यों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की एलओडीआर धारा 108 के विनियमन 44 की अनुपालना में कंपनी असाधारण आम बैठक पर पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मतदान इलैक्ट्रॉनिकली करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रावधान करा रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधाएं प्रावधान कराने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)की सेवाएं ली हैं। श्री अजय अरोड़ा, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव, चंडीगढ़ को न्याययुक्त एवं पारदर्शिता रूप में ई-वोटिंग प्रोसेस संचालित करने हेतु बतौर संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 27 जून 2021 को पूर्वा. 10.00 बजे (भा मा स) पर आरंभ होगी एवं 29 जून 2021 को अप. 5.00 बजे (भा.म.स) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनके पास अंतिम तिथि (रिकार्ड तिथि) 25 जून 2021 भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में शेयर्स होंगे व इलैक्ट्रॉनिकली अपना मतदान दे सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके बाद वोटिंग हेतु सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। प्रस्ताव पर एक बार मतदान सदस्यों द्वारा देने के बाद सदस्यों को अनुवर्ती में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्य जो 30 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) द्वारा बैठक में भाग ले रहे हैं। वे सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य दिन पर इलेक्ट्रॉनिकली बैठक के दौरान अथवा मतदान दे सकते हैं। तथापि केवल वही सदस्य/शेयर होल्डर्स जो वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा ईजीएम में उपस्थित होंगे एवं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा उन्हें वर्जित नहीं किया गया है वे ईपीएम में ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा मतदान करने के लिए योग्य होंगे।

सदस्य जिनका नाम अंतिम तिथि अर्थात 25 जून 2021 को डिपॉजिटर्स द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है वहीं केवल असाधारण आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग एवं वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर्स रखे हैं एवं असाधारण आम बैठक की सूचना की मेलिंग के पूर्ण होने के पश्चात सूचना के भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है एवं अंतिम तिथि अर्थात 25 जून 2021 को शेयर्स रखता है वह evoting@cdslindia.com या beetalrta@gmail.com पर एवं निवेदन भेजने द्वारा लागइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

कथित असाधारण आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइटों (www.punjabalkalies.com), इसके रजिस्ट्रारों एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट बीटल फायनेंसियल एंड कंपयूटर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट (www.beetalfinancial.com) एवं सीडीएसएल (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ अथवा शिकायत की स्थिति में www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) को देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या beetalrta@gmail.com को ई-मेल लिखें अथवा श्री पुनीत मित्तल, महाप्रबंधक, बीटल फायनैन्सियल एंड कम्प्यूटर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सैंटर की पीछे, नई दिल्ली-110062, फोन नं. 011-29961281-83 ईमेल beetalrta@gmail.com पर संपर्क करें।

ईजीएम का परिणाम निर्धारित समय सीमा में घोषित किया जाएगा एवं यह सदस्यों की सूचना हेतु कंपनी की वेबसाइट (www.punjabalkalies.com) एवं सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर डाला जाएगा एवं यह बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) को भी संप्रेषित किया जाएगा।

बोर्ड के आदेश द्वारा
हस्ता/-
(सुगंधा कुकरेजा)
कंपनी सचिव

दिनांक: 21 मई 2021

PACL - Amar ujala - Chd - 8/6/21